

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/आयुष चिकि०-फार्मा० मानदेय/15/11-12/3243-7 दिनांक: 16/3/2012
विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में संविदा पर नवीनीकृत किए गए आयुष चिकित्सक (पुरुष) एवं फार्मासिस्ट (आयुष) को मानदेय के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2011 के क्रम में वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सक (पुरुष) तथा फार्मासिस्ट (आयुष) के वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु संविदा नवीनीकरण के निर्देश आपको क्रमशः पत्र दिनांक 19.10.2011 एवं दिनांक 12.12.2011 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2. राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.02.2012 में प्रदेश में वर्ष 2010-11 में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक (पुरुष) तथा आयुष फार्मासिस्ट जिनका वित्तीय वर्ष 2011-12 में संविदा नवीनीकरण किया गया है को मानदेय का भुगतान एन०आर०एच०एम० फलैक्सीपूल में उपलब्ध धनराशि से किए जाने के अनुमोदन के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार 1110 आयुष चिकित्सक (पुरुष) के मानदेय हेतु धनराशि ₹ 1465.20 लाख तथा 701 फार्मासिस्ट (आयुष) के मानदेय हेतु धनराशि ₹ 252.36 लाख इस प्रकार कुल ₹ 1717.56 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य सोसायटी के खाते में निर्गत की जा रही है-

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	आयुष चिकित्सक (पुरुष) की संख्या	कुल धनराशि ₹0 24000.00 प्रति माह की दर से 5½ माह के लिए	आयुष फार्मासिस्ट की संख्या	कुल धनराशि ₹0 9000.00 प्रति माह की दर से 4 माह के लिए	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7 (4 + 6)
1	आगरा	13	1716000.00	15	540000.00	2256000.00
2	अलीगढ़	18	2376000.00	8	288000.00	2664000.00
3	इलाहाबाद	23	3036000.00	11	396000.00	3432000.00
4	अम्बेडकर नगर	9	1188000.00	11	396000.00	1584000.00
5	औरिया	10	1320000.00	7	252000.00	1572000.00
6	आजमगढ़	54	7128000.00	16	576000.00	7704000.00
7	बदायूँ	4	528000.00	0	0.00	528000.00
8	बागपत	11	1452000.00	0	0.00	1452000.00
9	बहराइच	23	3036000.00	13	468000.00	3504000.00
10	बलिया	44	5808000.00	17	612000.00	6420000.00
11	बलरामपुर	18	2376000.00	10	360000.00	2736000.00
12	बांदा	27	3564000.00	12	432000.00	3996000.00
13	बाराबंकी	15	1980000.00	7	252000.00	2232000.00
14	बरेली	7	924000.00	11	396000.00	1320000.00
15	बस्ती	14	1848000.00	8	288000.00	2136000.00
16	सन्त रविदास नगर	3	396000.00	7	252000.00	648000.00

क्रम संख्या	जिला का नाम	आयुष चिकित्सक (पुरुष) की संख्या	कुल धनराशि ₹0 24000.00 प्रति माह की दर से 5½ माह के लिए	आयुष फार्मासिस्ट की संख्या	कुल धनराशि ₹0 90000.00 प्रति माह की दर से 4 माह के लिए	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
17	बिजनौर	0	0.00	8	288000.00	288000.00
18	बुलन्दशहर	23	3036000.00	15	540000.00	3576000.00
19	चन्दौली	4	528000.00	11	396000.00	924000.00
20	चित्रकूट	10	1320000.00	11	396000.00	1716000.00
21	देवरिया	23	3036000.00	17	612000.00	3648000.00
22	एटा	9	1188000.00	10	360000.00	1548000.00
23	इटावा	3	396000.00	13	468000.00	864000.00
24	फैजाबाद	10	1320000.00	8	288000.00	1608000.00
25	फर्रुखाबाद	15	1980000.00	9	324000.00	2304000.00
26	फतेहपुर	19	2508000.00	12	432000.00	2940000.00
27	फिरोजाबाद	34	4488000.00	7	252000.00	4740000.00
28	जी०बी० नगर	5	660000.00	2	72000.00	732000.00
29	गाजियाबाद	25	3300000.00	8	288000.00	3588000.00
30	गाजीपुर	4	528000.00	17	612000.00	1140000.00
31	गोण्डा	38	5016000.00	10	360000.00	5376000.00
32	गोरखपुर	43	5676000.00	17	612000.00	6288000.00
33	हमीरपुर	4	528000.00	9	324000.00	852000.00
34	हरदोई	33	4356000.00	17	612000.00	4968000.00
35	हाथरस	19	2508000.00	8	288000.00	2796000.00
36	जालौन	28	3696000.00	13	468000.00	4164000.00
37	जौनपुर	0	0.00	0	0.00	0.00
38	झांसी	15	1980000.00	10	360000.00	2340000.00
39	जे०पी०नगर	13	1716000.00	10	360000.00	2076000.00
40	कन्नौज	14	1848000.00	12	432000.00	2280000.00
41	कानपुर देहात	6	792000.00	13	468000.00	1260000.00
42	कानपुर नगर	16	2112000.00	17	612000.00	2724000.00
43	कांशीरामनगर	4	528000.00	0	0.00	528000.00
44	कौशाम्बी	15	1980000.00	0	0.00	1980000.00
45	लखीमपुर खीरी	29	3828000.00	14	504000.00	4332000.00
46	कुशीनगर	4	528000.00	17	612000.00	1140000.00
47	ललीतपुर	4	528000.00	8	288000.00	816000.00
48	लखनऊ	13	1716000.00	12	432000.00	2148000.00
49	महाराजगंज	24	3168000.00	12	432000.00	3600000.00
50	महोबा	4	528000.00	7	252000.00	780000.00
51	मैनपुरी	24	3168000.00	10	360000.00	3528000.00
52	मथुरा	10	1320000.00	9	324000.00	1644000.00
53	मऊ	16	2112000.00	0	0.00	2112000.00
54	मेरठ	11	1452000.00	4	144000.00	1596000.00
55	मिर्जापुर	3	396000.00	15	540000.00	936000.00
56	मुरादाबाद	18	2376000.00	11	396000.00	2772000.00
57	मुजफ्फरनगर	28	3696000.00	15	540000.00	4236000.00
58	पीलीभीत	13	1716000.00	11	396000.00	2112000.00
59	प्रतापगढ़	18	2376000.00	11	396000.00	2772000.00
60	रायबरेली	18	2376000.00	6	216000.00	2592000.00
61	रामपुर	15	1980000.00	9	324000.00	2304000.00
62	सहारनपुर	15	1980000.00	12	432000.00	2412000.00
63	सन्तकबीर नगर	4	528000.00	0	0.00	528000.00
64	सिद्धार्थनगर	4	528000.00	0	0.00	528000.00
65	शाहजहाँपुर	21	2772000.00	11	396000.00	3168000.00
66	श्रावस्ती	9	1188000.00	6	216000.00	1404000.00

क्रम संख्या	जिला का नाम	आयुष चिकित्सक (पुरुष) की संख्या	कुल धनराशि रु० 24000.00 प्रति माह की दर से 5½ माह के लिए	आयुष फार्मासिस्ट की संख्या	कुल धनराशि रु० 9000.00 प्रति माह की दर से 4 माह के लिए	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
67	सीतापुर	38	5016000.00	13	468000.00	5484000.00
68	सोनभद्र	9	1188000.00	8	288000.00	1476000.00
69	सुल्तानपुर	11	1452000.00	13	468000.00	1920000.00
70	उन्नाव	10	1320000.00	14	504000.00	1824000.00
71	वाराणसी	4	528000.00	11	396000.00	924000.00
72	सीएसएम नगर	8	1056000.00	5	180000.00	1236000.00
कुल योग		1110	146520000.00	701	25236000.00	171756000.00

4. उपर्युक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत आयुष चिकित्सक (पुरुष) एवं फार्मासिस्ट (आयुष) को संविदा पर अनुबन्धित किए जाने के लिए राज्य कार्य योजना वर्ष 2010-11 में जनपदों हेतु स्वीकृत पद के सापेक्ष अनुबन्धित किए गए आयुष चिकित्सक (पुरुष) एवं फार्मासिस्ट (आयुष) का वर्ष 2011-12 में किए गए नवीनीकरण के आधार पर ही किया जाए।

5. कृपया अवमुक्त की जा रही धनराशि से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर समयान्तर्गत महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ० प्र० तथा इस कार्यालय को नियमित रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
मिशन निदेशक

तद्दिनांक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/आयुष चिकि०-फार्मा० मानदेय/15/11-12/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
मिशन निदेशक